न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 36/2022 राजस्व अपील

1. गोविन्दसहाय
2. गोकुल

पिसरान सांवल्या जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गोविन्दसहाय मुकदमा संख्या 234/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति :श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 30.09.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स ने सम्वत 2078 में ग्राम दुब्बी स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. में सरसों बोकर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना कोई जवाब व सबूत का मौका दिये बिना ही अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित कर दिया व अपीलान्ट्स को 30 दिवस की सजा व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया जबकि सजा जैसे मुकदमे में अपीलान्ट्स को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलान्ट्स की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट्स ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं अपीलान्ट्स का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा का निर्णय दिनांक 28.01.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2078 में ग्राम दुब्बी स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावें।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट्स का ग्राम दुब्बी स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में अपीलान्ट्स शपथकर्ता का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम दुब्बी उप तहसील सिकन्दरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.02 है. पर से अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अतिक्रमण हटा लिया जाना उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नियमानुसार ... हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा